संख्या- 101/2024/226/35-4-2024/35-4099/8/2021

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
रायबरेली ।

नियोजन अनुभाग- 4 लखनऊ; दिनांक: 05 मार्च, 2024

विषय:- जनपद- रायबरेली में वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय आई०टी०आई० भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में विधान सभा क्षेत्रों में राजकीय आई0टी0आई0 की स्थापना किये जाने से संबंधित मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद- रायबरेली में राजकीय आई0टी0आई0 विधान सभा क्षेत्र-सरेनी के ग्राम महममऊ, रायबरेली के भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश सं0- 38/2020/509/35-4-2020, दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा 12 जनपदों के 13 कार्यों में से 01 कार्य (शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020 के क्रमांक-11 पर अंकित कार्य) हेतु रू0 1307.79 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 523.11 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0- 125/2021/1241/35-4-2021, दिनांक 13 अगस्त, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 130.78 लाख, शासनादेश सं0- 467/2021/2332/35-4-2021, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 326.95 लाख एवं शासनादेश सं0- 409/2022/1462/35-4-2022/001-35-4099/482/2021, दिनांक 18 नवम्बर, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 261.56 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार अब तक रू0 1242.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिलाधिकारी, रायबरेली का पत्रांक- 1013(i)/त्व0आ0/2023-24, दिनांक 12.02.2024 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना इंगित करते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। एतद्द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि को समायोजित करते हुए पाँचवी किश्त के रूप में अवशेष रू0 65.39 लाख (रूपये पैसठ लाख उन्तालिस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू. लाख में)

कार्य का नाम	अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय आई0टी0आई0, विधान सभा क्षेत्र-सरेनी के ग्राम महममऊ, रायबरेली का भवन निर्माण कार्य	1307.79	1242.40	65.39

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. यदि कार्य में संस्था द्वारा निविदा की दर कम थी तो तदनुसार एवं यदि कोई ब्याज अर्जित है तो उक्त विषयक भली भांति पुष्टि करने के उपरांत ही यदि आवश्धयक हो तो धनराशी का आहरण किया जाये | साथ ही इस विषयगत किये गए परिक्षण की आख्या से भी शासन को अवगत कराया जाए |
2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020; दिनांक 13 अगस्त, 2021; दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 व दिनांक 18 नवम्बर, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
3. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
4. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
5. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी |
6. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चिमत किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
8. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथासंशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19.09.2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रु0 65,39,000/- (रूपये पैसठ लाख उन्तालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 203-रोजगार, 03-त्वरित आर्थिक विकास योजना, 0302-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण के चालू कार्य,24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं तत्संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अरूणेश कुमार द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 101/2024/226(1)/35-4-2024/35-4099/8/2021, तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।

3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।

4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।

6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।

7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।

8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

10- मुख्य विकास अधिकारी, रायबरेली।।

10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी रायबरेली।।

11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, रायबरेली।।

13- संयुक्त निदेशक स्टेट ट्रान्सफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अरूणेश कुमार द्विवेदी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।